एक वर्ष से राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली 2011 में विहित प्रक्रिया के अनुसार चल रही थी, जिसमें माह दिसम्बर 2013 में पदोन्नति करने का लिखित कार्यवृत्त जारी की गयी। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

ज्ञातव्य है कि तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव महोदय के माह दिसम्बर के मध्य में स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त प्रक्रिया सम्पन्न न हो सकी थी। वर्तमान नियमावली 2014 दिनांक 17 फरवरी 2014 को शासन द्वारा जारी की गयी है। ऐसी स्थित में इससे पूर्व पदोन्नति हेतु विभागीय डी0पी0सी सम्पादित न किया जाना संवर्ग के हितों पर कुठाराघात एवं पूर्ण रूप से अन्याय है। पूरे वर्ष 2013 में पदों को भरने हेतु पदोन्नति प्रक्रियायें तत्समय प्रचलित नियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार की गयी हैं। मात्र परिषद स्तर से विलम्ब के कारण संवर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाना न्याय संगत नहीं है। पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 समय से न होने के कारण संवर्ग में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। समय से पदोन्नति करने हेतु संस्था द्वारा दिनांक 01.04.13, 10.06.13, 01.08.13, 06.11.13 एवं 06.02.2014 को पत्राचार करके अनुरोध भी किया गया था।

अस्तु महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को अवलोकित करते हुये प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के रिक्त लगभग 800 पदों पर लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति करने हेतु परिषद स्तर पर विगत एक वर्ष से संग्रहित सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी सूची से 17 फरवरी 2014 के पूर्व प्रचलित राजस्व कार्यपालक सेवानियमावली (राजस्व निरीक्षक) 2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार कार्य सरकार एवं जनहित में डी0पी0सी0 करके पदोन्नति अतिशीघ्र करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

न्याय की प्रत्याशा में सादर!

संलग्नकः–यथोपरि (11 वर्क)।

भवदीय,

(अवधेश सिंह चौहान)
महामंत्री

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मा0 प्रमुख्य सचिव महोदय (राजस्व) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद लखनऊ।

(अवधेश सिंह चौहान)
महामंत्री